



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092022-238665
CG-DL-E-08092022-238665

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4004]
No. 4004]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 8, 2022/भाद्र 17, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2022/BHADRA 17, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2022

का.आ. 4185(अ).—यतः, मै. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य के ग्राम गंगाईकोंडान, तालुक तिरुनेलवेली, जिला तिरुनेलवेली में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्रों सं. का.आ.1425(अ) दिनांक 08 जून, 2009 एवं का.आ.2838(अ) दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 40.48 हेक्टेयर एवं 76.893 हेक्टेयर के क्षेत्रों को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 36.4920 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 3357/एमआईई.2/2021-1 दिनांक 29 अप्रैल, 2022 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्लू विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 36.4920 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है। इसके अलावा, कथित अनधिसूचित भूमि पार्सल को किसी व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं रखा गया है और यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु सरकार को सौंपने के लिए प्रस्तावित है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में एतद्वारा 36.4920 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 80.8810 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र हेतु नीचे तालिका में दिए गए सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थातः-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	गंगाईकोडान	1649	2.0620
2.		1916	1.6800
3.		1914	1.4960
4.		1913	3.6500
5.		1917	0.4620
6.		1923	3.1370
7.		1921	1.0480
8.		1920	2.1530
9.		1922	3.3980
10.		1641	2.5000
11.		1651	1.8190
12.		1910	0.8980
13.		1911	2.4920
14.		1912	1.4140
15.		1915	0.3680
16.		1924	2.7150
17.		1925	2.2900
18.		1931	2.9100
कुल			36.4920
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			80.8810

[फा. सं. एफ. 1/54/2007-एसईजेड]

अमित यादव, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(SEZ DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2022

S.O. 4185(E).—Whereas, M/s. Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Village Gangaikondan, Taluka Tirunelveli, District Triunelveli, in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 40.48 hectares and subsequently, an area of 76.893 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notifications Number S.O. 1425(E) dated 08th June, 2009 and S.O. 2838(E) dated 20th December, 2011, respectively;

AND, WHEREAS, M/s. Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 36.4920 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 3357/MIE.2/2021-1 dated 29th April, 2022;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 36.4920 hectares of the Special Economic Zone. Further, the said land parcel identified for partial de-notification is not put to any commercial Usage and the same is proposed to be handed over to the Government of Tamil Nadu for infrastructure projects;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 36.4920 hectares, thereby making resultant area of the Special Economic Zone as 80.8810 hectares. The Survey numbers and the area for the de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area in Hectares
1.	Gangaikondan	1649	2.0620
2.		1916	1.6800
3.		1914	1.4960
4.		1913	3.6500
5.		1917	0.4620
6.		1923	3.1370
7.		1921	1.0480
8.		1920	2.1530
9.		1922	3.3980
10.		1641	2.5000
11.		1651	1.8190
12.		1910	0.8980
13.		1911	2.4920
14.		1912	1.4140
15.		1915	0.3680
16.		1924	2.7150
17.		1925	2.2900
18.		1931	2.9100
Total			36.4920
Grand Total Area of SEZ after above deletion			80.8810

[F. No. F. 1/54/2007-SEZ]

AMIT YADAV, Addl. Secy.